कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

E-mail – dean-gmcshahdol@mp.gov.in,
Website - WWW.GMCSHAHDOL.ORG,

Office No. :- 07652-243000
Fax No.:- 07652 – 243222

कमांक/स्था./अराज/शा.चि.म.वि./2022/....... शहडोल, दिनांक 10../03/2022

आदेश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म0प्र0 भोपाल के पत्र क्रमांक/एन.एच.एम./एच.आर./2021/66 भोपाल दिनांक 14.09.2021 द्वारा वर्ष 2021–22 में स्वीकृत बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में एन.एच.एम. के अंतर्गत एसएनसीयू एवं पीआईसीयू हेतु चयन समिति की अनुसंशा के आधार पर एंव राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म0प्र0 भोपाल के पत्र क्रमांक/एन.एच.एम./एच.आर./2022/1690 भोपाल दिनांक 07.03.2022 के द्वारा स्वीकृति एंव अनुमोदन उपरांत निम्न लिखित को संविदा स्टाफ नर्स के पद पर निश्चित मानदेय रुपये 20000/–(बीस हजार) प्रतिमाह पर निम्नानुसार शर्तो के अधीन पदस्थ किया जाता है :–

S.NO.	Name of Candidate	Father's/Husband Name	Cat.	Selected Cat.
1	DEEPIKA TRIPATHI	BHAKT NARAYAN TRIPATHI	UR	UR
2	SANJU PAWAR	GULABU PAWAR	OBC	UR
3	SNEHLATA TIWARI	BALMUKUND TIWARI	UR	UR
4	PRATIMA PATEL	RAMSIYA PATEL	OBC	UR
5	ANARKALI SAHU	NANSHAH SAHU	OBC	UR
6	PRITI PATEL	MANGLESH PRASAD PATEL	OBC	UR
7	SONAM PATEL	JAWAHAR LAL PATEL	OBC	UR
8	POOJA SONI	DINESH KUMAR SONI	OBC	UR
9	APARNA TIWARI	VAINNAVI SHARAN TIWARI	UR-PH	UR-PH
10	NIKHAT KHAN	ANWAR HUSAIN	OBC	OBC
11	KANYA YADAV	SOCHAND YADAV	OBC	OBC
12	MANJULA PATEL	RAMLAL PATEL	OBC	OBC
13	DEEPSHIKA SINGH	LALBAHADUR SINGH	OBC	OBC
14	REKHA NAPIT	SEETAL PRASAD NAPIT	OBC	OBC
15	REETU VERMA	SWAPNIL VERMA	OBC	OBC
16	PRITI VARMA	GAJADHAR VARMA	OBC	OBC
17	SAPNA RAJPUT	RAISINGH RAJPUT	OBC PH	OBC PH
18	PUSHPA SAKET	MUNNALAL SAKET	SC	SC
19	PRIYANKA DAHAT	VIDHAYASAGAR DAHAT	SC	SC
20	DURGA PRAJAPATI	RAMPRAKASH PRAJAPATI	SC	SC
21	SUPRIYA CHOUDHARI	RAMNARAYAN CHOUDHARI	SC	SC
22	SEEMA KOL	MAHESH KOL	ST	ST
23	TARUNLATA MARAVI	PRATAP SINGH MARAVI	ST	ST
24	URMILA SINGH	RAGHUVEER SINGH	ST	ST
25	SUSMA DEVI PANIKA	ANANDRAM PANIKA	ST	ST
26	PUSHPA SINGH	MAIRAJ SINGH	ST	ST
27	SWETA SINGH	MAHESH KUMAR SINGH	ST	ST
28	KANCHAN UPADHAYA	UMAKANT UPADHAYA	EWS	EWS
29	MAYA TIWARI	AWDESH TIWARI	EWS	EWS
30	ISHA PRADHAN	ROBERT PRADHAN	EWS	EWS

संविदा सेवा शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. संविदा सेवा शर्ते राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के नवीनतम मानव संसाधन मैनुअल के अनुरुप होंगी।
2. संविदा पदों पर नियुक्ति आदेश दिनांक से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक दिनांक 31 मार्च 2022 तक के लिये होंगी।

Scanned with CamScanner

3. वार्षिक कार्य आधारित मूल्यांकन में योग्य पाये जाने पर संविदा अनुबंध को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म0प्र0 भोपाल द्वारा स्वीकृत अवधि के लिये बढ़ाया जा सकेगा।
4. कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर नियुक्ति नियत अवधि के पूर्व एक माह की नोटिस देकर कभी भी समाप्त की जा सकती है।
5. संविदा के दौरान दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जावेगी।
6. संविदा अनुबंध के आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावे स्वीकार्य नहीं होगे।
7. आदेश जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के अन्दर उपस्थिति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को सौंपना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में पदभार ग्रहण न करने पर आदेश स्वयं समाप्त माना जावेगा।
8. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. भोपाल द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देश लागू होगें।
9. संविदा स्टाफ नर्स द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् स्वयं के व्यय पद अधोहस्ताक्षरी के साथ राशि–500/– के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित किया जाना होगा।
10. चयनित उम्मीदवार को उपस्थित प्रतिवेदन के साथ स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. चयनित उम्मीदवार को उपस्थित प्रतिवेदन के साथ पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त संविदा स्टाफ नर्स को उनके पदस्थापना स्थल पर निवास करना अनिवार्य होगा।
13. संविदा स्टाफ नर्स को शासन के समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों के संचालन में सक्रिया रूप से भाग लेना होगा। ऐसे कार्यक्रमों में भाग नहीं लेना कदाचार माना जावेगा।
14. संविदा वेतन राशि का भुगतान एन.एच.एम. से बजट उपलब्ध होने के अधीन होगा संविदा वेतन राशि के अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महगांई भत्ता , क्षतिपूर्ति भत्ता , गृह भत्ता आदि की पात्रता नहीं होगी।
15. संविदा स्टाफ नर्स द्वारा कदाचरण करने अथवा किसी अपराधिक कृत्य में लिप्त होने पर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
16. संविदा स्टाफ नर्स राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होगा।
17. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को नियमानुसार एक वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी, एक माह में अधिकतम 3 दिवस के अवकाश की पात्रता होगी। 03 दिवस से अधिक दिवस हेतु लिये गये निरंतर अवकाश अवधि को अवैतनिक किया जावेगा। मुख्यालय छोडने की स्थिति में संविदा स्टाफ नर्स द्वारा लिखित पूर्वानुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की जाना होगी।
18. उपस्थित प्रतिवेदन के साथ समस्त दस्तावेजों की स्वाप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा। दस्तावेज असत्य पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध विधि अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
19. संविदा सेवा अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के अन्य संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार/व्यवसाय करना प्रतिबंधित होगा।
20. संविदा स्टाफ नर्स बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्त्तव्य से एक माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहती है तो उसकी संविदा ऐसी अनुपस्थिति तारीख से स्वयं समाप्त मानी जावेगी।

नोट :– प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों एंव अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन सहित)तथा महिलाओं के लिये आरक्षण प्रावधनों को पालन किया गया है।

(डॉ. मिलिन्द शिरालकर)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

पृ.कमांक / स्था. / अराज / शा.चि.म.वि. / 2022 / .... शहडोल, दिनांक .... / .... / 2022

प्रतिलिपि :– की ओर वास्ते सूचनार्थ।

1. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण म0प्र0।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा भोपाल म0प्र0।
3. स्वास्थ्य आयुक्त, म0प्र0 भोपाल।
4. संभागायुक्त शहडोल संभाग शहडोल म0प्र0।
5. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म0प्र0 भोपाल।
6. संचालक चिकित्सा शिक्षा, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म0प्र0 भोपाल।
7. संचालक वित्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म0प्र0 भोपाल।
8. संयुक्त संचालक एवं अस्पताल अधीक्षक, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)।
9. मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला शहडोल म0प्र0।
10. उपसंचालक शिशु स्वास्थ्य ,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म0प्र0 भोपाल।
11. संबंधित अधिकारी / कर्मचारी.. की ओर पालनार्थ।
12. आदेश नस्ती ।

—//—

(डॉ. मिलिन्द शिरालकर)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

Scanned with CamScanner